side, the Government have agreed, in principle, to upgrade 52 posts from Commanders to that of Captain.

2. For officers in the rank of Major General and above and their equivalents in the other two Services, proposals are still under consideration.

J.C.I. to incur loss due to fall in price of Jute

1712. SHRI NIREN GHOSH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is true that Jute Corporation of India is going to incur huge loss because of fall in the price of jute;

(b) if so, what would be the quantity and amount; and

(c) what steps are being taken by Government to save J.C.I. from incurring loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b) From the current trend of raw jute prices, it is quite likely that JCI would make losses on the stocks procured by them. The exact amount of loss could be quantified only after JCI has actually sold its stocks.

(c) The following steps have been suggested to JCI from time to time:

1. Greater involvement of Co-operatives to minimise JCI's over-head cost.

2. Enlargement of commercial operations, as an experimental measure, by purchasing raw jute on agency basis on behalf of the jute mills taken over by the Government under I(D&R) Act.

3. Exploring the possibility of exporting limited quantity of raw jute.

मुअत्तल कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा

1713. श्री निहाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मुअत्तल कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा देती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अब तक इस सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे कर्मचारियो की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) कोई भी मुअत्तल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मुअत्तली की अवधि के दौरान छुट्टी यात्रारियायत का स्वयं लाभ नही उठा सकता है क्योकि मुअत्तल कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी मजूर नही की जा सकती है । किन्तु उसके परिवार द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के हल पर कोई प्रभाव नही पड़ता है क्योकि परिवार के सदस्यो द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लेने का हक सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी लेने पर निर्भर नही है और वे यह सुविधा सामान्य शर्तों के अध्याधीन स्वतन्त्र रूप से तब तक उठा सकते है जब तक सरकारी कर्मचारी सेवा में रहता है

(ख) छुट्टी यात्रा रियायत के दावे सारे देश मे फैले हुए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में यात्रा भत्ता बिलो को पास करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पास किए जाते है । इस प्रकार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास ऐसे निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के परिवार की संख्या के संबंध में आंकडे उपलब्ध नहीं है । जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्राप्त की है और न ही इस प्रकार के आंकड़े इस विभाग द्वारा मोनीटर ही किए जाते हैं ।